न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।

आदेश

वाद सं0 एम0 09/2020
धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष – विशेश्वर महतो ग्राम बघिमा थाना पालकोट ..... ।

बनाम

द्वितीय पक्ष – राजू साहु, राजेश साहु पिता स्व0 रामलगन साहु, ग्राम बघिम।

1
08/1/21

वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी, पालकोट के अप्राथमिकी सं0 05/2020 दिनांक 02/10/2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बघिमा के खाता सं0 41 प्लॉट सं0 4086 रकबा 0.73 एकड़ प्लॉट सं0 4102 रकबा 0.75 एकड़ प्लॉट सं0 4103 रकबा 0.6 एकड़ प्लॉट सं0 4106 रकबा 0.63 एकड़ कुल 2.17 एकड़ जमीन में **प्रथम पक्ष** (1) विशेश्वर महतो उर्फ विशेश्वर कुम्हार पिता स्व0 रामबहाल महतो ग्राम बघिमा थाना पालकोट **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) राजू साहु, (2) राजेश साहु दोनो के पिता स्व0 रामलगन साहु, ग्राम बघिम थाना पालकोट सभी जिला गुमला। उभय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर अपना दखल करने का प्रयास को लेकर दोनो पक्षो के बीच तनाव बना हुआ है । फलस्वरूप शांति भंग होने संबंधी प्रतिवेदन थाना पालकोट द्वारा किया गया है। थाना प्रभारी पालकोट के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए दं0प्र0सं0 की धारा 144 प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, पालकोट से उक्त वादगत् भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मांग किया गया। जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है:–

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वादगत भूमि को लेकर प्रथम पक्ष की ओर से कभी भी शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है। विवादित जमीन मौजा बघिम थाना पालकोट जिला गुमला के मौजा बघिमा के खाता सं0 41 प्लॉट सं0 4086 रकबा 0.73 एकड़ प्लॉट सं0 4102 रकबा 0.75 एकड़ प्लॉट सं0 4103 रकबा 0.6 एकड़ प्लॉट सं0 4106 रकबा 0.63 एकड़ कुल 2.17 एकड़ जमीन. से संबंधित है जो प्रथम पक्ष विशेश्वर महतो के पूर्वज के खतियानी जमीन है और खतियान के अनुसार उपरोक्त खाते के जमीन के खतियानी मालिक है और खतियान प्रथम पक्ष के पूर्वज गिरधारी कुम्हार व देवधारी कुम्हार के नाम से बना है। प्रथम पक्ष के सदस्य सरकार को लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे है उपरोक्त जमीन पर शांति पूर्वक दखलकार होकर जोतवाद करते चले आ रहे है। द्वितीय पक्ष का विवादित जमीन पर किसी तरह का कोई हक व कब्जा नहीं है। और द्वितीय पक्ष बिना हक व सरोकार के जबरजस्ती कुछ जमीन पर खेती किए है पुलिस प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उपरोक्त खाते एवं प्लॉट के खतियानी मालिक प्रथम पक्ष के पूर्वज गिरिधारी महतो वगैरह के नाम से दर्ज है और उपरोक्त जमीन

के पूर्वज व वर्तमान में प्रथम पक्ष इनके मालिक है। उक्त खाता प्लॉट का जमीन को महेश्वर साव पिता श्याम साव से द्वितीय पक्ष के सदस्य के पिता गलन साव के द्वारा रजिस्ट्री केवाला से दिनांक 11/10/1961 को खरीद किए है। जो खतियानी रैयत से मिलान नहीं खता है। उपरोक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष को कोई हक वो सरोकार नहीं है और फर्जी तरीके से प्रथम पक्ष के खतियानी जमीन को हड़पना चाहते है। प्रथम पक्ष के खतियानी रैयत या उनके वंशज कभी भी उपरोक्त जमीन को नहीं बेचे है। प्रथम पक्ष के सदस्य उपरोक्त जमीन का सरकार को माल लगान अदा कर रसीद कटाते आ रहे है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। द्वितीय पक्ष के सदस्य लालची और दबंग प्रवृति के व्यक्ति है और बिना हक व सरोकार के प्रथम पक्ष के जमीन को हड़पना चाहते है। द्वितीय पक्ष के सदस्यों को विवादित जमीन पर जाने से रोका जाय और प्रथम पक्ष के हित में आदेश पारित किया जाय।
प्रथम पक्ष द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किया गया है।

1. खतियान।
2. लगान रसिद ।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वाद्गत भूमि मौजा बघिमा के खाता सं0 41 प्लॉट सं0 4086 रकबा 0.73 एकड़ प्लॉट सं0 4102 रकबा 0.75 एकड़ प्लॉट सं0 4103 रकबा 0.6 एकड़ प्लॉट सं0 416 रकबा 0.63 एकड़ जमीन कुल रकबा 2.17 एकड़ भूमि से संबंधित है लेकिन प्लॉट सं0 4106 रकबा 0.63 एकड़ भूमि से कोई मतलब नहीं है। वादगत भूमि को पट्टा सं0 1524 वर्ष 1961 दिनांक 11/10/1961 में महेशवर साव वल्द शाम साव ने राम लगन साव पिता छोटू साव को बिक्री कर दिया है। द्वितीय पक्ष के रामलगन साव का लड़के है राजू साहु एवं राजेश साहु खरीददार राम लगन साव का बेटा है जो द्वितीय पक्ष है।
खरीदगी के बाद विवादित जमीन में खेती बारी किया अंचल कार्यालय पालकोट से दाखिल खारिज करा कर मालगुजारी रसीद कट रहा है वर्तमान में विवादित जमीन द्वितीय पक्ष के दखल कब्जा में है विवादित जमीन टाड में मडुवा का फसल नोटिस मिलने के पूर्व काट चुके है अब बाद में 144 दं0प्र0सं0 का कोई प्रश्न ही नही उठता है। प्रथम पक्ष जमीन के लोभ में द्वितीय पक्ष के विरूद्ध में दं0 प्र0 सं0 144 केश किया है चूकि द्वितीय पक्ष के लोग परेशानी हो। विवादित भूमि में प्रथम पक्ष एक दिन के लिए भी दखलकार नहीं है।
द्वितीय पक्ष द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किया गया है।

1. रजिस्ट्री पट्टा 1524 की छाया प्रति।
2. लगान रसीद की छाया प्रति।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब, कागजात, बहस सुनने एवं अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादगत् भूमि मौजा बघिमा के खाता सं0 41 प्लॉट सं0 4086 रकबा 0.73 एकड़ प्लॉट सं0 4102 रकबा 0.75 एकड़ प्लॉट सं0 4103 रकबा 0.6 एकड़ प्लॉट सं0 416 रकबा 0.63 एकड़ कुल 2.17 एकड़ भूमि से सबंधित है। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब में खाता सं0 41 प्लॉट सं0 4086 रकबा 0.73 एकड़, प्लॉट सं0 4102 रकबा 0.75 एकड़, प्लॉट सं0 4103 रकबा 0.06 एकड़, प्लॉट सं0 4106 रकबा 0.6 एकड़ कुल रकबा 1.15 एकड भूमि में ही अपना दखल बतला रहे है। जबकि प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब में खाता सं0 41 प्लॉट सं0 4086 रकबा 0.73 एकड़ प्लॉट सं0 4102 रकबा 0.75 एकड़ प्लॉट सं0 4103 रकबा 0.6 एकड़ प्लॉट सं0 4106 रकबा 0.63 एकड़ जमीन कुल रकबा 2.17 एकड़ भूमि से संबंधित है लेकिन प्लॉट सं0 4106 रकबा 0.63 एकड़ भूमि से कोई मतलब नहीं है। प्रथम पक्ष के महेशवर साव वल्द शाम साव के द्वारा द्वितीय पक्ष के दादा रामलगन साव को रजिस्ट्री पट्टा सं0

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गोपाल)

1524 दिनांक 11/10/1961 में कुल रकबा 3.72 एकड़ भूमि को बिक्री किया गया है। जिसमें उक्त वाद्गत प्लॉट भी सम्मलित है। जिसका अंचल कार्यालय, पलकोट से दाखिल खारिज कराकर लगान रसिद कटाते आ रहे है एवं दखलकार है।

अतः उक्त वादगत् भूमि मौजा बघिमा के खाता सं0 41 प्लॉट सं0 4086 रकबा 0.73 एकड़, प्लॉट सं0 4102 रकबा 0.75 एकड, प्लॉट सं0 4106 रकबा 0.6 एकड़ कुल रकबा 1.54 एकड़ भूमि में द्वितीय पक्ष के हित में आदेश पारित करते हुए प्रथम पक्ष को स्थिर किया जाता है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2025.12.26 12:00:38 +05:30
Location: 192.168.1.37